प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

**परियोजना विवरण :– जिला नैनीताल में प्रधान मत्री ग्राम सडक योजना के अन्तगर्त लोहाली से थुआब्लाक मोटर म निर्माण लम्बाई–9.900**

| | |
|---|---|
| 1. | |
| क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव विवरण। | 4.9875 है0 |
| ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | सलग्न है। (प्रारूप 8) |
| ग) परियोजना की लागत। | 592.65लाख |
| घ) उन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | मोटर मार्ग निर्माण हेतु |
| ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | सलग्न है। |
| | प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम थुआब्लाक मुख्य मार्ग से जूड जायेगा, तथा जनता को यातायात एवं कृिष करोबार में सुविधा प्राप्त |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | |
| 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: | आरक्षित वनभूमि – 3.71 है0<br>वन पंचायत भूमि– 0.9275 है0<br>सिविल सोयम भूमि – 0.35 है0<br>नाप भूमि– 1.4875 है0<br>सिविलपाभूमि– 0.455 है0<br>**कुल– 6.93 है0** |
| 3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है | नहीं |
| क) परिवारों की संख्या | नही |
| ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | नहीं |
| ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | नही |
| 4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) | नहीं |
| 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) | सलग्न है। |
| 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। | जो संलग्न है |

दिनांक 20.02.2015

स्थान ज्योलीकोट

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम मोहर

अधिशासी अभियन्ता
सि०ख० पी एम०जी०एस०वाई०
ज्योलीकोट (नैनीताल)

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना विवरण :– जिला नैनीताल में प्रधान मत्री ग्राम सडक योजना के अन्तगर्त लोहाली से थुआब्लाक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई–9.900

| | |
|---|---|
| [illegible] स्कीम की अवस्थिति | सडक योजना के अन्तगर्त लोहाली से |
| [illegible] उत्तराखण्ड | उत्तराखण्ड प्रदेश |
| [illegible] | नैनीताल |
| [illegible] वन प्रभाग | नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल |
| [illegible] पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | आरक्षत वनभूम – 3.71 हे0<br>वन पंचायत भूमि– 0.9275 हे0<br>सिविल सोयम भूमि – 0.35 हे0<br>नाप भूमि– 1.4875 हे0<br>सिविलपाभूमि– 0.455 हे0<br>कुल– 6.93 हे0 |

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. गृहारण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अप्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि [illegible] है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

[illegible] क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है तो [illegible]

22 [illegible] क्षेत्र में कोई [illegible] पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक [illegible] है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के [illegible]

23 पूर्वेक्षण के लिए [illegible] की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां [illegible]

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हाँ

(ii) यदि नही तो वन भूमि की सिफारिश किए गए क्षेत्र जिससे पूर्तिकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नही) नही

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नही) नही

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के भूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नही)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन की दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नही)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नही)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर
नाम
शासकीय मुद्रा